

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

प्रपत्र संख्या -43 ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/ बैंक का नाम व शाखा-

एस0बी0आई0मुख्य शाखा देहरादून

- 1- जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि
- 2- पता-
- 3- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
- 4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
- 5- चालान की सकल धनराशि (GROSS)
- 6- चालान की निबल (net) राशि

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक उप शीर्षक ब्यौरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

1	4	7	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

-	-	-
-	-	-
-	-	-

धनराशि (शब्दों में) रूपये मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी एंव चिट्स
देहरादून

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या..... दिनांक..... अंकों में रूपये.....
शब्दों में रूपये.....

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उप कोषागार(नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरण:रोकड (धनराशि केवल रूपयों में)

नोट	संख्या	राशि
1000X		
500. X		
100 X		
50 X		
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
योग:-		

चेक का विवरण संख्या

दिनांक

राशि (रु०)

टिप्पणी:-

- 1- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक सेवा खण्ड-2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लेख लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्ति) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- 2- जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
- 3- यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

प्रपत्र संख्या -43 ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/ बैंक का नाम व शाखा-

एस10बी0आई0मुख्य शाखा देहरादून

1- जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि

2- पता-

3- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)

4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5- चालान की सकल धनराशि (GROSS)

6- चालान की निबल (net) राशि

7- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक उप शीर्षक ब्योरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

1	4	7	5
---	---	---	---

0	0
---	---

2	0	0
---	---	---

0	2
---	---

0	0
---	---

--

-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-

-
-
-

धनराशि (शब्दों में) रूपये मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

सहायक निबन्धक
फर्मर्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या दिनांक अंकों में रूपये

शब्दों में रूपये

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उप कोषागार(नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरण:रोकड (धनराशि केवल रूपयों में)

नोट	संख्या	राशि
1000X		
500 X		
100 X		
50 X		
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
योग:-		

चैक का विवरण संख्या

दिनांक

राशि (रु०)

टिप्पणी:-

1- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक सेवा खण्ड-2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लेख लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्ति) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2- जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

3- यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

प्रपत्र संख्या -43 ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/ बैंक का नाम व शाखा-

एस10बी0आई0मुख्य शाखा देहरादून

- 1- जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि
- 2- पता-
- 3- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
- 4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
- 5- चालान की सकल धनराशि (gross)
- 6- चालान की निबल (net) राशि

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक उप शीर्षक ब्योरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

1	4	7	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

धनराशि (शब्दों में) रूपये मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

सहायक निबन्धक
फार्म-सोसाइटी एवं विट्स
देहरादून

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या..... दिनांक..... अंकों में रूपये.....

शब्दों में रूपये.....

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उप कोषागार(नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरण:शेकड (धनराशि केवल रूपयों में)

नोट	संख्या	राशि
1000X		
500 X		
100 X		
50 X		
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
योग:-		

बैंक का विवरण संख्या

दिनांक

राशि (रु०)

टिप्पणी:-

- 1- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक सेवा खण्ड-2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लेख लेखा) तथा खण्ड -4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्ति) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- 2- जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
- 3- यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।